बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—: : आदेश : :—

आदेश सं०—27 / अभि०—03—04 / 2024—सा0प्र0.....पटना—15, दिनांक.....

श्रीमती मालती कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—718 / 2023, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमंडल औरंगाबाद के विरूद्ध परिवाद संख्या—04 / 2024 धारा 341, 504, 506, 425, 426, 427, 333 भा0द0वि0, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद, बिहार के संबंध में गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय, बिहार के पत्रांक—527 दिनांक—14.03.2024 द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा, अधिवक्ता, कमरा नं0—14, जिला विधि संघ, औरंगाबाद के पत्र संलग्न कर इस विभाग से अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

विभागीय पत्रांक—5718 दिनांक—08.04.2024 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से श्रीमती कुमारी की पदस्थापन की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। स्मारोपरांत जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक—176 दिनांक—06.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन से उनकी पदस्थापन स्पष्ट नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक—12469 दिनांक—09.07.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से पुनः स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया, जो स्मारोपरांत अप्राप्त रहा।

तदुपरांत विभागीय पत्रांक—20259 दिनांक—29.10.2025 से श्रीमती कुमारी से माननीय न्यायालय में दायर परिवाद संख्या—04 / 2024 के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक—28.11.2025 से स्पष्ट किया गया कि वे अपर अनुमंडल पदाधिकारी—सह—कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में दिनांक—07.03.2020 से दिनांक—01.02.2024 तक पदस्थापित थीं। विविध वाद संख्या—3040 / 2022, अनुमंडल पदाधिकारी, औरगाबाद के न्यायालय में धारा—144 सी०आर०पी०सी० के तहत विचाराधीन था, जो दो पक्षों के बीच भूमि के Possession के विवाद से सबंधित था। यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.2024 के आदेश से निष्पादित किया गया, जिसमें उन्होंने इस मामले में कोई निर्णय लिया जाना अस्वीकार किया गया। रैयती भूमि के Possession के मामले के निष्पादन हेतु सक्षम माननीय न्यायालय ही है।

श्रीमती कुमारी के अनुसार उनके द्वारा शिकायत वाद सख्या—04 / 2024 के सबंध में कभी—भी कोई आदेश या निर्देश मौखिक अथवा लिखित रूप में पारित नहीं किया गया। इनके द्वारा कभी—भी किसी पक्ष के लिये अपने पद का दुरूपयोग इस मामले में नहीं किया गया है न तो इन्होंने कभी मौखिक या लिखित रूप से श्रीमती इन्दु देवी के पक्ष में पुलिस प्राधिकार को फसल कटवाने के लिये कोई निदेश नहीं दिया गया है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में विधिक परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस मामले में गहनता से विचार करते हुए निष्कर्षतः अंकित किया गया कि इस Complaint Case का CJM, Aurangabad के न्यायालय द्वारा दिनांक–23.01.2025 को पारित आदेश में अभियोजन नहीं रहने के कारण रद्द कर दिया गया है, इसलिए इस मामले में अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

वर्णित तथ्यों की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा इस आरोप प्रकरण को **संचिकास्त** करने का निर्णय लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती मालती कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–718/2023, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमंडल औरंगाबाद के विरूद्ध प्रतिवेदित इस आरोप प्रकरण को **संचिकास्त** किया जाता है।

ह०/–
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/अभि०–03–04/2024–सा0प्र0 1151 **पटना–15, दिनांक** 15.01.26

प्रतिलिपिः– गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना/श्रीमती मालती कुमारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–718/2023, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमंडल औरंगाबाद सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, पटना/ श्री अरूण कुमार शर्मा, अधिवक्ता, कमरा नं0–14, जिला विधि संघ, औरंगाबाद/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.01.26
सरकार के अवर सचिव।